भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4034

(जिसका उत्तर मंगलवार, 03 अप्रैल, 2018 को दिया गया)

क्राउडफंडिंग हेतु नियम

4034. श्रीमती कानीमोझीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्राउडफंडिंग हेतु तयशुदा नियम बनाने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने सभी अपेक्षित कार्यकलापों/प्रावधानों को क्राउडफंडिंग नियमों के तहत लाए जाने का फैसला किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या स्टार्ट अप्स को क्राउडफंडिंग कार्यकलापों के माध्यम से धनराशि जुटाने की अनुमति दी गयी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (ग): भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (सेबी) से प्राप्त सूचना के अनुसार उसने एक परामर्श पत्र 'क्राउडफंडिंग इन इंडिया' जून, 2014 में जारी किया था। यद्यपि, सेबी ने इस संबंध में कोई मानदंड या विनियमन नहीं बनाए हैं।

*****